आरसीएसए/85/22

नारायण दास दीक्षित बनाम श्रीमति राजकुमारी वगै0

21.12.2023 वादीगण सहित श्री जी0के नायक अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 व 3 द्वारा श्री अनिल त्रिपाठी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी क्रमांक 4 व 5 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण शेष वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

वादीगण सहित अधिवक्ता श्री जी0के नायक ने उपस्थित होकर एक आवेदन आदेश 23 नियम 01 सीपीसी दिनांकित 21.12.2023 प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी क्रं 1 लगायत 3 के अधिवक्ता को नकल प्रदान की गयी।

प्रतिवादी क्रं 1 के अधिवक्ता द्वारा लेख कर व्यक्त किया कि उसे वादी द्वारा दावा वापिस लेने में कोई आपत्ति नहीं है और न ही आवेदन का जवाब देना है।

आवेदक द्वारा आवेदन अर्न्तगत आदेश 23 नियम 01 सी.पी.सी. दिनांकित 21.12.2023 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भवन क्रं 1254/7 स्थित वार्ड नंबर 7 नौगांव एवं भूमि खसरा किता 10 कुल रकवा 8.309 हे0 स्थित मौजा कुबरी हल्का हनौता तहसील पलेरा जिला टीकमगढ म0प्र0 के संबंध में व्यवहार वाद स्वत्व घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में मिलकर नामांतरण करा लेगे। अतः वादीगण को वाद पत्र वापिस किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वादीगण की पहचान श्री जी0के0 नायक अधिवक्ता द्वारा की गयी।

आवेदन पर सुना गया।

आदेश 23 नियम 01 सी.पी.सी. के प्रावधान के अधीन वादी किसी भी प्रकम पर न्यायालय के अनुज्ञा के बिना अपना वाद प्रत्याहरित किये जाने हेतु स्वतंत्र है अतएव प्रश्नगत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रश्नगत आवेदन की स्वीकृति के प्रभाव मे वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

मामले की परिस्थितियों में वाद उपगत सम्पूर्ण व्यय

वादीगण स्वयं वहन करेगा।

व्यय तालिका निर्मित की जाये।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर विहित समयावधि मे अभिलेखागार मे प्रविष्ट किया जाये।

MANVENDRA SINGH YADAV
Digitally signed by MANVENDRA SINGH YADAV
Date: 2023.12.21 17:38:21 +0530

(मानवेन्द्र सिंह यादव)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
नौगॉव जिला छतरपुर म0प्र0